तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29.10.25	पत्रावली पेश हुई अधिभाषक उभय पक्ष [illegible] श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] से तशरीफ रखते है। [illegible] है। अधिक [illegible] अन्य कार्य [illegible] कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली अधिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24.12.25 को पेश हो।
24.12.25	पत्रावली पेश हुई। अध्यक्ष अभिभाषक परिषद् [illegible] की ओर से सूचित किया गया है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान दिनांक- 23.12.2025 से 01.01.26 तक अधिवक्तागण पैरवी करने में असमर्थ है। अतः इस दौरान कार्य स्थगित रखा जावे। पत्रावली दिनांक- 11.02.2026 को पेश हो।
11-2-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। साक्ष्य वादी में स्वयं वादी व बहन सुमित्रा का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया एवं दस्तावेज फोटो प्रति पेश की अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। साक्ष्य वादी बन्द कर पत्रावली बहस में नियत की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस 18-2-26 को पेश हो।
18-2-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। तदनुसार निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

09/दावा/2024 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 28.02.2024 श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. राजू सैनी उर्फ राजकुमार आ0 श्योजीलाल जाति माली निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–वादी

बनाम

1. प्रेमशंकर आ0 श्योजीलाल जाति माली निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. रमेश आ0 श्योजीलाल जाति माली निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. सुमित्रा पुत्री श्योजीलाल पत्नि सत्यनारायण जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. शाखा प्रबन्धक, इण्डियन बैंक शाखा देहीखेडा जिला बून्दी राज0।
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

अधिवक्ता – श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट (वादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट
व धारा 136, भू राजस्व अधिनियम

दिनांकः– 18.02.2026

–निर्णय–

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 11 रकबा 1.08 हैक्टर, ख0सं0 24 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 1.23 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम ठीकरी पटवार हल्का ढगारिया तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में वादी का हिस्सा 1/4 निहित है। वादी का वास्तविक नाम राजू सैनी है परन्तु उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजकुमार अंकित है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी पूछताछ के गांव के लोगो के कहे अनुसार अंकित कर दिया है जबकि वादी का दस्तावेजी नाम राजू सैनी है जिस कारण वादी को के0सी0सी0 ऋण व अन्य कई कार्यो में परेशानी का सामना करना पड रहा है जिससे वादी को काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है। अन्य सरकारी दस्तावेजो में भी वादी का नाम राजू सैनी आ0 श्योजीलाल अंकित है।वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र में वर्णित कृषिभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजकुमार के स्थान पर राजू सैनी अंकित करवावें उक्त इन्द्राज के दुरूस्त होने से राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेंगा। वादी ने जब बैंक से के0सी0सी0 ऋण लेने के लिए आवेदन किया तब बैंक वालो ने अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम अलग होने व राजस्व रिकार्ड में अलग नाम होने के कारण ऋण स्वीकृत नही किया वादी नाम संशोधन कराने के लिए तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसके उपरान्त भी वादी का नाम संशोधित नही किया गया तब वादी न्यायालय की शरण में आया यही वाद कारण है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवाद संख्या 1 लगायत 3 स्वंय उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बावजूद तामील सम्मन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र एंव सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 3 का साक्ष्य शपथ पत्र एंव परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड पैन कार्ड की छायाप्रतिया पेश किए हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 ग्राम ठीकरी पेश की है जिसमें वादी का नाम राजकुमार पुत्र श्योजीलाल जाति माली अंकित है प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ बावजूद सूचना सम्मन के कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नही किया गया है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी का समस्त दस्तावेजो में नाम राजू सैनी पुत्र श्योजीलाल जाति माली दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में फौती नामान्तकरण खोलते समय वादी का बोलता नाम राजकुमार दर्ज कर दिया गया है। जो सही नही है ओर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम राजकुमार के स्थान पर राजू सैनी दर्ज किया जावें।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 ग्राम ठीकरी तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजकुमार पुत्र श्योजीलाल जाति माली दर्ज होना पाया जाता है एंव वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड पैन कार्ड की छायाप्रतियों मे वादी का नाम राजू सैनी आ0 श्योजीलाल जाति माली दर्ज होना पाया जाता है सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 3 सुमित्रा पुत्री श्योजीलाल द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र वादी के समर्थन में पेश किया है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड साक्ष्य दस्तावेज को मध्यनजर रखते हुए वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खतौनी संख्या पुरानी 51 नयी 62 की कृषि भूमि खसरा संख्या 11 रकबा 1.08 हैक्टर, ख0सं0 24 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 1.23 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम ठीकरी पटवार हल्का ढगारिया तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम राजकुमार पुत्र श्योजीलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर राजकुमार उर्फ राजू सैनी आ0 श्योजीलाल जाति माली को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.. मुकाम............लाखेरी............
.... व इजलास.......श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर०ए०एस)..
....

1. राजू सैनी उर्फ राजकुमार आ0 श्योजीलाल जाति माली निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी –वादी	बनाम	1 प्रेमशंकर आ0 श्योजीलाल जाति माली निवासी बॉटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0। –प्रतिवादीगण क्रमशः पुस्त पर

वाद बाबत 88,89 व 136

मुकदमा नम्बर ....09 / दावा / 2024........................ सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे................. व हाजिरी .... श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट,. ....मिनजानिब मुद्दई रूबरू....................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि–

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खतौनी संख्या पुरानी 51 नयी 62 की कृषि भूमि खसरा संख्या 11 रकबा 1.08 हैक्टर, ख0सं0 24 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 1.23 हैक्टर कृषि भूमि वाके ग्राम ठीकरी पटवार हल्का ढगारिया तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम राजकुमार पुत्र श्योजीलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर राजकुमार उर्फ राजू सैनी आ0 श्योजीलाल जाति माली को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें।

निज........................मुबलिग..बाबत...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **18 माह 02 सन् 2026** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3 महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मैजान			मैजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner